

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री संतोष उराँव पिता स्व. सीता उराँव निवासी ग्राम: कुटकी, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुटकी, थाना सं: 95 (रैयती) खाता सं. 27 के अधीन प्लॉट सं. 283; ग्राम: हेंजदा, थाना सं: 94 (रैयती) खाता सं. 37 के अधीन प्लॉट सं. 282; ग्राम: डेम्बुआ, थाना सं: 90 (गैरमजरुआ खास) खाता सं. 19 के अधीन प्लॉट सं. 03; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती एवं गैरमजरुवा भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: कुटकी, थाना सं: 95 (रैयती) खाता सं. 27 के अधीन प्लॉट सं. 283; ग्राम: हेंजदा, थाना सं: 94 (रैयती) खाता सं. 37 के अधीन प्लॉट सं. 282; ग्राम: डेम्बुआ, थाना सं: 90 (गैरमजरुआ खास) खाता सं. 19 के अधीन प्लॉट सं. 03; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती एवं गैरमजरुवा भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहित किया गया है के तहत श्री संतोष उराँव पिता स्व. सीता उराँव निवासी ग्राम: कुटकी, थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

निरोध
27/09/21

38/12
27/9/21

27/09/2021 10:00